कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय

Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar Vishwavidyalaya

Kathadih, Raipur (C.G.), 492013 | www.ktujm.ac.in

(University Established by Government of Chhattisgarh Vide Act 24 of 2004)

क्रमांकः 645/केटीयू/छात्रवृत्ति/26 रायपुर, दिनांक ..06/07/2026

// छात्रवृत्ति सूचना 2026–27 //

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2026–27 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन की कार्यवाही **http://postmatric-scholarship.cg.nic.in** वेबसाइट पर की जा रही है। जिसके अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन वर्ष 2026–27 हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित की गई है–

आवेदन का प्रकार	आवेदन प्राप्ति की तिथि	संस्था स्तर पर कार्यवाही हेतु समय–सीमा	जिला स्तर पर कार्यवाही हेतु समय–सीमा	संभावित छात्रवृत्ति वितरण तिथि	रिमार्क
नवीनीकरण	30 जून 2026 तक	शासकीय संस्थाओं – प्राप्त आवेदनों का परीक्षण स्वीकृत कर जिला को भेजना 10 दिवस अधिकतम	शासकीय संस्थाओं – के आवेदनों का परीक्षण एवं स्वीकृति उपरांत राज्य मुख्यालय को प्रेषित करने हेतु 05 दिवस अधिकतम	18 जुलाई 2026 तक	आधार सीडेड बैंक खाते में भुगतान 07 कार्य दिवस में प्राप्त होगा।
	30 सितम्बर 2026 तक			18 अक्टूबर 2026 तक	
	30 नवम्बर 2026 तक			18 दिसम्बर 2026 तक	
	30 दिसम्बर 2026 तक			18 जनवरी 2027 तक	
नवीन	30 अगस्त 2026 तक			18 सितम्बर 2026	
	30 सितम्बर 2026 तक			18 दिसम्बर 2026 तक	
	30 नवम्बर 2026 तक			18 जनवरी 2027 तक	
	30 दिसम्बर 2026 तक				

वर्ष 2026–27 में विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन नवीनीकरण के लिए 20 जून 2026 एवं नवीन आवेदन के लिए 01 अगस्त 2026 से छात्रवृत्ति पोर्टल प्रारम्भ किये जायेंगें प्राप्त नवीनीकरण एव नवीन आवेदनों का परीक्षण एवं स्वीकृति संबंधी समस्त कार्यवाही समयावधि में वितरण तिथि के पूर्व स्वीकृत कर्ता अधिकारी द्वारा पूर्ण कर लिया जाए जिससे सक्षम प्राधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति का सम्पूर्ण विरतण एवं भुगतान माह जनवरी 2027 तक पूर्ण किया जा सके।

1. **छात्रवृत्ति हेतु निम्नानुसार पात्रता निर्धारित है:–**

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय–सीमा रु. 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय–सीमा रु. 1.00 लाख प्रतिवर्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाणपत्र, छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र एवं विद्यार्थी के अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम।

क्रमशः–2

2. PFMS के माध्यम से आधार सीडेड बैंक खाते में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी अपने सक्रिय एवं आधार सीडेड बैंक खाते की प्रविष्टि ऑनलाईन आवेदन करते समय सुनिश्चित करें।

3. वर्ष 2026–27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को NSP Portal से OTR (One Time Registration) प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है।

4. वर्ष 2026–27 में नवीन संस्था के संस्था प्रमुख (HOI) एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी (NOI) का biometric-authentication किया जाना अनिवार्य है।

अतः अपरोक्त निर्धारित तिथियों के पश्चात शिक्षा सत्र 2026–27 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन Draft Proposal एवं Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नही किया जाएगा एवं समय–सीमा में कार्यवाही पूर्ण नही होने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे। उक्त सभी प्रस्ताव एवं स्वीकृति आदेश छात्रवृत्ति नियमावली में उल्लेखित नियमों का पालन करते हुए प्रेषित किये जाये।

(सुनील कुमार शर्मा)
कुलसचिव

पृ.क्रमांक: 616 / केटीयू / छात्रवृत्ति / 26 रायपुर, दिनांक 06 / 07 / 2026

प्रतिलिपि : –

1. निज सहायक कुलपति जी की ओर माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक, कुलसचिव को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष एवं शिक्षकों को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में प्रविष्ट करने हेतु।
5. सूचना पटल।

कुलसचिव